

Rajendra Prasad {राजेन्द्र प्रसाद}

From: Rajendra Prasad {राजेन्द्र प्रसाद}
Sent: Monday, July 26, 2021 15:19
To: 'oschaudhary@gmail.com'
Cc: Adarsh Srivastava {ए. श्रीवास्तव}; M R Chauhan {एम.आर. चौहान}
Subject: Information to Online RTI application dt.08.07.2021
Attachments: Annexure against information to Shri Onkar Singh-2025.pdf

Sir,

This has reference to your Online RTI application Registration No.PGCIL/R/E/21/00279 Dt.08.07.2021 vide which you have sought information under RTI Act-2005. In this regard following is being intimated:

आपके ऑनलाईन प्रार्थना पत्र Registration Number (पंजीकरण संख्या) : PGCIL/R/E/21/00279 दिनांक 08/07/2021 के अनुसार आपके द्वारा 400 के वी दादरी-मडोला लाइन के टावर संख्या 568(A) के बारे जानकारी मांगी गई है। पॉवरग्रिड दादरी द्वारा इस लाइन का अनुरक्षण किया जाता है | इस लाइन में कुल 124 टावर है जिन पर 1 से 124 टावर संख्या तक नंबर प्लेट लगे है। आपके द्वारा 400 के वी दादरी-मडोला लाइन के टावर संख्या 568(A) के बारे में जानकारी मांगी गई है जो की इस लाइन में कही नहीं है।

सादाबाद जखेवा, परगना- जलालाबाद , तहसील मोदीनगर, जिला गाज़ियाबाद में स्थित खसरा संख्या 303, खाता संख्या 22 में भी पॉवरग्रिड की स्वामित्वाधीन कोई लाइन नहीं है | किन्तु पॉवरग्रिड द्वारा, पॉवर लिंक के स्वामित्व वाली लाइन, 400 के वी मेरठ-मंडोला लाइन के टावर संख्या 568 का शिफ्टिंग किया गया है जिसमे शिफ्टिंग के दौरान लगाने वाले नए टावर के नीचे की भूमि का मुआवजा, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, सर्किल दर का 85 % , सम्बंधित राजस्व अधिकारी द्वारा भूस्वामी के सत्यापन के आधार पर दिया गया है।

Point-wise information to your Online RTI application is as below:

Point No.1	Information
Please provide certified copy of the reports received between 01/09/20 to 29/06/21 from tehsil relating to the ownership of above land.	सत्यापित प्रति संलग्नक-1 पर संलग्न है।
Point No.2	Information
Please provide the certified copy of the report based upon which crop/damage compensation ownership was determined for Khasra no. 303 (only for the land on which the tower is erected).	दस्तावेज क्रमांक न.283 कि प्रति संलग्नक-2 संलग्न है
Point No.3	Information
Please provide the certified copy of the report based upon which land compensation (non-crop/non-damage) ownership was determined for Khasra no. 303 (only for the land on which the tower is erected).	प्रति संलग्नक-1,1A,1B पर संलग्न है।

Rajender Prasad
Executive Secretary to CPIO

